(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 47 / 2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री दीपक लालवानी पुत्र श्री जवाहर लालवानी जाति सिन्धी निवासी हाउस नं. 25 आर.के.नगर, कोटा जिला कोटा(विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स आवतमल जवाहरमल प्रताप चौक, बारॉ
2. मैसर्स आवतमल जवाहरमल प्रताप चौक, बारॉ
3. श्री संतोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता निवासी वार्ड नं. 12, दीनदयाल पार्क, बारां(मालिक) मैसर्स जय एजेन्सी, वार्ड नं. व ब्लॉक नं. बी–45 रिदि्का नगर, सेन्ट्रल एकेडमी, स्कूल के सामने, बारां
4. मैसर्स जय एजेन्सी, वार्ड नं. व ब्लॉक नं. बी–45 रिदि्का नगर, सेन्ट्रल एकेडमी, स्कूल के सामने, बारां
5. श्रीमती संतोष डाड पत्नी श्री राकेश डाड(मालिक) मैसर्स अंजली फूड इण्डस्ट्रीज, हनुमान मंदिर के पास, कोटा रोड नई ईरान्स, भीलवाड़ा राज. 311001
6. मैसर्स अंजली फूड इण्डस्ट्रीज, हनुमान मंदिर के पास, कोटा रोड नई ईरान्स, भीलवाड़ा राज. 311001

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।)/52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 27.10.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री नीरज कुमार नागर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.02.2023 को मैसर्स आवतमल जवाहरमल प्रताप चौक, बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री दीपक लालवानी पुत्र श्री जवाहर लालवानी(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.12.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 24 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **सूजी (अंजली ब्राण्ड) मूल पॉलीपैक 500 ग्राम** कट्टे में 25 किग्रा. मूल पैक आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मैंने खाद्य पदार्थ **सूजी (अंजली ब्राण्ड) मूल पॉलीपैक 500 ग्राम** में मिलावट एवं मिथ्याछाप क[illegible] हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **सूजी (अंजली ब्राण्ड) मूल पॉलीपैक 500 ग्राम** के 04 मूल पॉली पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री दीपक लालवानी पुत्र श्री जवाहर लालवानी(विक्रेता एवं मालिक) को 120/– रूपये (अक्षरे एक सौ बीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:26:05 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **सूजी (अंजली ब्राण्ड) मूल पॉलीपैक 500 ग्राम** के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1687 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच. –1687 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री संजय कुमार पुत्र श्री दीपक लालवानी पुत्र श्री जवाहर लालवानी(विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/93 दिनांक 28.02.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 133/PHL/kota/Act/2022/133 दिनांक 22.02.2023 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **सूजी (अंजली ब्राण्ड) मूल पॉलीपैक 500 ग्राम** मिथ्याछाप(**Misbranded**) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 26.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर, उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **सूजी (अंजली ब्राण्ड) मूल पॉलीपैक 500 ग्राम** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbranded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ सूजी (अंजली ब्राण्ड) मूल पोलीपैक **500 ग्राम** मूल कट्टे को चैक करना और 04 मूल पोलीपैक का नमूना लिया जाना बताया है नमूना लेने मे एफ.एस.एस. एक्ट व नियमों की अक्षर से पालना नही की गयी है। नमूना [illegible] प्रक्रिया का पालन नही हुआ है। पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी द्वारा जॉच रिपोर्ट दिनांक 22.02.2023 में जांच अवधि में किये परिणामों का कोई वर्णन नहीं है। इस अवधि में किये गए परीक्षण का नमूना प्रत्येक पृथक–पृथक तिथियों का दर्ज नही है। यह कि जिस आधार पर मिस ब्राण्ड नमूने का घोषित किया गया है उसका कोई आधार जॉच रिपोर्ट मे दर्ज नही है। यह कि सक्षम अधिकारी की अभियोजन स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त नही की गयी है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि परिवाद निरस्त फरमाये जाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:26:05 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 133/PHL/kota/Act/2022/133 दिनांक 22.02.2023 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी क्रम 01 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **सूजी (अंजली ब्राण्ड) मूल पॉलीपैक 500 ग्राम** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 133/PHL/kota/Act/2022/133 दि. 22.02.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 80,000/– रूपये (अक्षरे अस्सी हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **27.10.2023** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:26:05 IST
Reason: SelfAttested